न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)
पीठासीन अधिकारी कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:—24 / 2024
GCMS CASE NO-2024/25

दायरा दिनांक 24.06.2024

भागीरथ पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़
——अपीलांट

बनाम

1 बनवारी पुत्र स्व. श्री मोटाराम जाति जाट साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़
2 बलवन्त पुत्र स्व.श्री मोटाराम जाति जाट साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़
3 मदनलाल पुत्र स्व.श्री मोटाराम जाति जाट साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़
4 रविना पुत्री स्व.श्री मोटाराम पत्नी श्री पृथ्वी जी डिढारिया जाति जाट साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ़ द्वितीय पता :—साकिन सिद्धुवाला (खिलेरियावाला) तहसील सूरतगढ
5 विधा पत्नी स्व. श्री मोटाराम जाति जाट साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तह. सूरतगढ
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
7 उप पंजीयक सूरतगढ।

——रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:—
1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट संख्या 6

—:: निर्णय ::—

दिनांक 23 .10.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता/पति मोटाराम पुत्र बुधराम के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 16 एस.एल.डी.ए. के खाता न 1 के पत्थर न 83/380 (5) के किला न 1—2—4—5 मे 1.012 हैक्‍ कमाण्ड व खाता न 19 के पत्थर न 83/380 (5) के किला न 3 – 7 ता 13 —19 ता 22 मे 3.036 हैक्‍ व पत्थर न 84/380 के किला न 16, 24—25 मे 0.759 हैक्‍ कुल 3.795 कमाण्ड खातेदारी रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड था। इस रकबा मे से खातेदार मोटाराम ने जीवनकाल मे ही खाता न 1 के पत्थर न 83/380 (5) के किला न. 5 की 0.013 हैक्‍ व खाता न 19 के पत्थर न 83/380(5) के किला न 21 की 0.240 हैक्‍. व किला न 22 की 0.253 हैक्‍ इस प्रकार कुल 0.506 हैक्‍ रकबा पूर्ण प्रतिफल लेकर दिनांक 05.03.2018 को रकबा बैचान कर कब्जा अपीलांट को सौप कर रजिस्टर्ड बैयनामा अपीलाट के पक्ष मे उप पंजीयक सूरतगढ से तस्दीक करवा दिया। अपीलांट ने उसी समय उक्त बैयनामा की फौटो प्रति पटवारी हल्का को दे दी परन्तु पटवारी हल्का ने अपीलांट के नाम इन्तकाल दर्ज नही किया व रेस्पोडेंट्स के पिता मोटाराम के फौत हो जाने के बाद रेस्पोडेंट्स संख्या 1 ता 5 ने अपने पिता के शेष रकबा का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाते समय अपीलांट द्वारा खरीदे गये रकबा का भी इन्तकाल न. 143 दिनाक 06.06.2024 से अपने नाम अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ से स्वीकृत करवा लिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील इंतकाल निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 05.03.2018 द्वारा खरीदशुदा भूमि का इन्तकाल अपीलांट के नाम से दर्ज करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ को दिया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 को सम्मन विधिवत रूप से तामील होने के उपरांत भी हाजिर नही आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम चुघ द्वारा उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया गया परन्तु आज अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेंट संख्या 6 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 7 को नोटिस विधिवत रूप से तामील होने के उपरांत भी आज दिनांक तक अनुपस्थित रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के संबंधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई जो शामिल की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता/पति मोटाराम पुत्र बुधराम ने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:38:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

अपने जीवनकाल मे ही अपने खातेदारी रकबा यथा तहसील सूरतगढ के चक 16 एस.एल.डी.ए. के खाता न 1 के पत्थर न 83/380 (5) के किला न 1–2–4–5 मे 1.012 हैक कमाण्ड व खाता संख्या खाता न 19 के पत्थर न 83/380 (5) के किला न 3–7 ता 13 –19 ता 22 मे 3.036 हैक व पत्थर न. 84/380 के किला न. 16–24–25 मे 0.759 हैक कुल 3.795 हैक कमाण्ड खातेदारी रकबा मे से खाता न. 1 के पत्थर न 83/380 (5) के किला न 5 की 0.013 हैक व खाता न 19 के पत्थर न. 83/380 (5) के किला न 21 की 0.240 हैक. व किला न 22 की 0.253 हैक इस प्रकार कुल 0.506 हैक रकबा पूर्ण प्रतिफल लेकर दिनांक 05.03.2018 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा अपीलांट को बेचान कर दी व कब्जा अपीलांट को सौप दिया था। इस प्रकार बैयनामा पंजीयन होते ही इस रकबा से विक्रेता के खातेदारी अधिकार/हित समाप्त हो गये थे। इस रकबा मे जब मृतक स्वयं के अधिकार समाप्त हो गये तो उसके मरने के बाद यह रकबा रेस्पोडेंट्स के नाम विरासतन इन्तकाल से दर्ज होने का तो सवाल ही पैदा नही होता। जैर अपील रकबा का बेचान रेस्पोडेंट न 2 की गवाही मे ही हुआ है। पंजीकृत बैयनामा का एक गवाह रेस्पोडेंट न. 2 ही है तथा दुसरा गवाह राजकुमार पुत्र लच्छीराम जाति जाट साकिन भैरूपुरा था। इन दोनो की उपस्थिति मे ही बैयनामा पंजीयन हुआ था। रेस्पोडेंट न. 2 ने अधीनस्थ न्यायालय से सारे तथ्य छिपाकर जैर अपील इन्तकाल विधी विरूध स्वीकृत करवा लिया। जैर अपील रकबा पर रजिस्टर्ड बैयनामा सम्पादन की दिनांक 05.03.2018 से ही अपीलांट का चला आ रहा है व अपीलांट ही पंजीकृत बैयनामा के आधार पर अपने खरीदे गये रकबा का खातेदार हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी तरह की जांच किये ही अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत कर दिया। राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बैयनामा दस्तबरदारी विरास्तन इत्यादि इन्तकाल ग्राम पंचायत तस्दीक करेगी। इस प्रकार इस इन्तकाल स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को था। श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन इन्तकाल स्वीकार किया है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील इंतकाल निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 05.03.2018 द्वारा खरीदशुदा रकबा का इंतकाल अपीलांट के पक्ष में किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 6 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता/पति मोटाराम पुत्र बुधराम ने अपने जीवनकाल मे ही अपने खातेदारी रकबा यथा तहसील सूरतगढ के चक 16 एस. एल.डी.ए. के खाता न 1 के पत्थर न 83/380 (5) के किला न 1–2–4–5 मे 1.012 हैक कमाण्ड व खाता संख्या खाता न 19 के पत्थर न 83/380 (5) के किला न 3–7 ता 13 –19 ता 22 मे 3. 036 हैक व पत्थर न. 84/380 के किला न. 16–24–25 मे 0.759 हैक कुल 3.795 हैक कमाण्ड खातेदारी रकबा मे से खाता न. 1 के पत्थर न 83/380 (5) के किला न 5 की 0.013 हैक व खाता न 19 के पत्थर न. 83/380 (5) के किला न 21 की 0.240 हैक. व किला न 22 की 0.253 हैक इस प्रकार कुल 0.506 हैक रकबा पूर्ण प्रतिफल लेकर दिनांक 05.03.2018 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा अपीलांट को बेचान कर दी। परन्तु बेचान का इंतकाल दर्ज नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मोटाराम की शेष भूमि का विरास्तन करते समय मोटाराम द्वारा दिनांक 05.03.2018 को जरिये रजिस्टर्ड बैयानामा द्वारा बेचान की गई भूमि का भी इंतकाल दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल त्रुटिपूर्ण होने से निरस्ती योग्य है, जिसे निरस्त करना हम उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसील सूरतगढ़ का इंतकाल संख्या 143 स्वीकृति दिनांक 06.06.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ को इस आश्य के साथ रिमाण्ड़ की जाती है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तथा मृतक खातेदार द्वारा दिनांक 05.03.2018 को निष्पादित किये गये रजिस्टर्ड बैयनामा का भलीभांती अवलोकन कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23 .10.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/10/24

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.10.28 12:38:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner